BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 272 OF 2024

IN THE MATTER OF:

DEEPANK KUMAR SHARMA & ORS. ......**APPLICANTS**

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS. ....**RESPONDENTS**

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGES	C-FEES
1.	Additional Affidavit filed by the respondent no.8 in respect of clarification of the Hon'ble Tribunal.	1-5	
2.	Copy of Receipt dt. 14/03/2024, 28/03/2024 & 30/03/2024.	6-8	
3.	Copy of order dt. 13/02/2024 in respect of land use.	9	
4.	Copy of order dt. 22/06/2024 in respect of land use.	10	
5.	Copy of Khatauni.	11-22	
6.	Copy of order dt. 04/01/2019.	23	

7.	Copy of certificate dt. 05/06/2025. Issued by Regional Forest Officer, Bijnor.	24	
8.	Copy of letter issued by Pepal Pilkhan Foundation, Bijnor to Distt. Forest Officer dt. 12/05/2025.	25	
9.	Copy of letter dt. 10/05/2025 given by Devesh Kumar Sharma to Distt. Forest Officer.	26	
10.	Copy of Affidavit of Devesh Kumar Sharma in respect of Planting the Trees.	27-	
11.	Details of Plants and Works in respect of planting the trees.	28-29	
12.	Colored copy of photographs taken at the time of plantation on 05/06/2025.	30-34	

DELHI
DATE: 5/12/2025

THROUGH ADVOCATE

AKSingh

AKHILESH KUMAR SINGH,
ADVOACTE
CH. NO. 605, ROHINI
COURTS, DELHI

/

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 272 OF 2024

IN THE MATTER OF:

DEEPANK KUMAR SHARMA & ORS. ......APPLICANTS

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS. ....RESPONDENTS

ADDITIONAL AFFIDAVIT

I, DEVESH KUMAR SHARMA S/O LATE. SHRI. DEV SHARMA MISHRA AGED ABOUT 68 YEARS R/O MANJULIKE GARDEN, BAJORIA ROAD, SHARANPUR, DISTRICT SAHARANPUR (UP) 247001. presently at Meerut, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That the deponent is Respondent no 8 in the above petition and well conversant with the facts and circumstances of the case and competent to swear this affidavit which is prepared by my counsel under my instructions. The contents of the present affidavit are being understood by the deponent.

NOTARY
Attested
VIJAY KUMAR
Advocate
Dist. Meerut
Reg No. 3510
GOVT OF INDIA

2. That the deponent was owner of Khasra No. 1083,1084,1089,1090,1093,1094 but prior to filing the present O.A by the applicants the deponent had already sold Khasra No. 1083,1089 to Mohd. Hashim S/o Mohd. Farookh on 29/01/2024 vide sale deed dt. 29/01/2024 the stamp purchased on 28/01/2024.

3. That the deponent has applied to cut trees on 07/11/2023 in his Bagh to the authorities but no response has been given by the authorities in respect of that application dt. 07/11/2023 and authorities remained mum thereupon as per law and provisions of UP TREE PROTECTION ACT section 5(3) the applicant was entitled to cut the trees if the authorities had not responded within 35 days after the application.

4. That after application dt. 07/11/2023 which is in the record of the authorities, the deponent cut the trees after 45 days which were sick and most of them were dried. The Bagh was too old more than 75 years and fruits were coming in little numbers regarding which report of Patwari/Lekhpal was given.

5. That the authorities imposed the cost upon the deponent, Shakib, Naim Ahmed and Bablu for cutting the trees and the cost was deposited vide receipt dt.

NOTARY
Attested
VIJAY KUMAR
Advocate
Dist. Meerut
Reg No. 3510
GOVT OF INDIA

3

14/03/2024, 28/03/2024 and 30/03/2024 for Rs. 40000.00/-, 1,90,000.00/- and 165000.00/- respectively (Total 3,95,000.00/-). To imposed the cost upon the deponent and other persons by the Forest Department Mandal Moradabad was illegal and arbitrary but the deponent deposited the cost as it was to be used to remove the pollution understanding the holy duty of the deponent being citizen.

6. That the deponent got received the permission to change the land use vide order dt. 13/02/2024 in Case No. 811/2024 Computer application No. T202413161601811 passed by UP Zila Adhikari, (Mandal Muradabad), Tehsil: Bijnor as well as the sold part by the deponent was also converted the land use upon the application in Computer application no. T802024006185 vide order dt. 22/06/2024. The land use was change after cutting the trees in the Field of the deponent. The copy of khatauni is annexed herewith.

7. That the UPPCB has sent the notice for recovery of Rs. 3,61,41,229 (Rs. Three Crores Sixty One Lacks Fourty One Thousand Two Hundred Twenty Nine) which was replied by the deponent in time but the deponent had not received any further order passed by UPPCB in respect

of recovery for Rs. 3,61,41,229 (Rs. Three Crores Sixty One Lacks Fourty One Thousand Two Hundred Twenty Nine) till today.

8. That the deponent had got permission from the authority to plant the trees Seven Hundred in Numbers including Pepale and Neem in which respect an affidavit dt. 22/04/2025 was submitted before the Forest Officer. Thereupon the Forest Officer, Bijnor has permitted under the intervention of Pepale Pilkhan Foundation, Bijnor to plant seven hundred plants on Bijnor Nazibabad Road and they were tagged regarding which some photographs are also being produced and the letter and certificate issued by Forest Officer in which it is clear that the trees were having height 10 to 12 feet and which will be looked after for 5 years by the deponent.

9. That the deponent states that he had already filed the reply to the O.A. just after serving the copy of reply to the applicant's Counsel which was not succeeded but the reference no. was issued but today after successful filing it is not showing on the portal or in the Id. of the Counsel.

DEPONENT

5

Verification:

Verified at Meerut on this 05 day of December, 2025 that the contents of the above affidavit from para no. 1 to 9 are true and correct and nothing has been concealed therefrom.

NOTARY GOVT OF INDIA

DEPONENT

NOTARY GOVT OF INDIA

Devesh Kumar
Manglik garden
Bajoriya Road, Saharanpur
U.P. 247001

document ... before me..........

Attested by

05-12-2025

DEPONENT

R-8

(6)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
सा० वा० प्रभाग, बिजनौर

ई-3

वन विभाग, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।

बुक संख्या- .... क्रम संख्या- 4223

सा० वा० प्रभाग बिजनौर

श्री दैवेश शर्मा पुत्र देव शर्मा नि० काजर फत्ता मण्डावर
मौ० हाशिम पुत्र मौ० फारूख नि० मौ० मंगल काजर मण्डावर

से मुबलिग रुपये (अंकों में) 40000=00 (शब्दों में) रु० चालीस हजार मात्र

बाबत रेंज केस सं०-68/बिजनौर/23-24 के प्रतिकर प्रशमन धनराशि

हेतु प्राप्त किये।

दिनांक 14-03-2024

वनाधिकारी के हस्ताक्षर
क्षेत्रीय वन अधिकारी
(नाम व पदनाम सहित)

पी०एस०यू०पी० (आर०आर०) 1-वानिकी -7-12-20-400 पुस्तकें (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।

TXC
2

R-8

(7)

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
सा० वा० प्रभाग, बिजनौर

ई-3

वन विभाग, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।

बुक संख्या- .... क्रम संख्या- 4230

सा० वा० प्रभाग बिजनौर उ०प्र०

श्री (1) देवेश कुमार शर्मा पुत्र देव कुमार शर्मा नि० मण्डावर तह० जि० बिजनौर
(2) शाकिर पुत्र वाजिद नि० मौ० मेमन काजार मण्डावर थाना मण्डावर तह० व जि० बिजनौर

से मुबलिग रुपये (अंकों में) 190000=00 (शब्दों में) एक लाख नब्बे हजार मात्र

बाबत रेंज केस सं०- 75/बिजनौर/2023-24 के प्रतिकर प्रशमन धनराशि।
.... हेतु प्राप्त किये।

दिनांक 28/03/2024

वनाधिकारी के हस्ताक्षर
(नाम व पदनाम सहित)
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
बिजनौर

पी0एस0यू0पी0 (आर0आर0) 1-वानिकी -7-12-20-400 पुस्तकें (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।

R-8

(8)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
सा० वा० प्रभाग, बिजनौर

ई-3

वन विभाग, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।

बुक संख्या- .... क्रम संख्या- 4231

सा० वा० प्रभाग बिजनौर उ० प्र०

श्री (1) नईम अहमद पुत्र इमरान नि० मौ० शाहपीरजापत मण्डावर
(2) बबलू पुत्र अर्जुन सिंह नि० डेबलगढ थाना मण्डावर
(3) देवेश कुमार शर्मा पुत्र देव शर्मा नि० मण्डावर ज० व । जि० बिजनौर

से मुबलिग रुपये (अंकों में) 165000=00 (शब्दों में) रुपये लाख पैंसठ हजार मात्र

बाबत रैंज केस सं०-76/बिजनौर/2023-24 के प्रतिकर प्रशमन धनराशि।

.... हेतु प्राप्त किये।

दिनांक 30/03/2024

वनाधिकारी के हस्ताक्षर
(नाम व पदनाम सहित)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
बिजनौर

पी0एस0यू0पी0 (आर0आर0) 1-वानिकी -7-12-20-400 पुस्तकें (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।

TxC

R-8

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :मुरादाबाद,जनपद :बिजनौर,तहसील :बिजनौर
वाद संख्या :-811/2024
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202413161601811
देवेशी कुमार शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

छायाप्रति प्रमाणित

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही वादी देवेश कुमार शर्मा पुत्र श्री डा0 देव शर्मा निवासी मौ0 बाजार कंला कस्बा मण्डाव परगना मण्डावर तहसील व जिला बिजनौर द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–80(2)उ0प्र0 राजस्व संहिता–200 दिनांकित 09.02.2024 के आधार पर न्यायालय में प्रारम्भ हुई। प्रार्थना पत्र–आर0सी0 प्रपत्र–25 की जॉच तहसीलदार, बिजनौ से कराई गई। जांच आख्या प्राप्त होने के बाद दर्ज रजिस्टर किया गया।

तहसीलदार, बिजनौर की आख्या दिनांक 09.02.2024 में उल्लेख किया गया है कि राजस्व ग्राम मण्डावर परग मण्डावर तहसील व जिला बिजनौर की उद्धरण खतौनी 1426फ0–1431फ0 के खाता सं0 331 के गाटा सं0 1083 रकबा . 797हे0 में से 0.459हे0 ,गाटा सं0 1093 रकबा 0.686हे0 व गाटा सं0 1094 रकबा 0.164हे0 कुल 03 खेत कुल रकबा 1.309हे लगान 44.70रू0 के देवेश कुमार शर्मा पुत्र श्री डा0 देव शर्मा निवासी मौ0 बाजार कंला कस्बा मण्डावर परगना मण्डावर तहसी व जिला बिजनौर,,संकमणीय भूमिधर है। उक्त भूमि को अकृषिक प्रयोजन हेतु प्रयोग करने के लिए धारा 80(2) के अन्तर्ग अकृषिक घोषित कराने की प्रार्थना की है। उक्त भूमि धारा 132 अब नई धारा 77 से बाधित नही है तथा उक्त भूमि सैन्चूरी क्षे के अन्तर्गत नही आती है। मौके पर अकृषिक प्रयोग में की जा रही है। उक्त आराजी में कृषि कार्य, बागवानी, कुक्कुट पाल मत्स्य पालन नहीं हो रहा हैं। आवेदक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नगत भूमि पर उनके द्वा कोई ऐसा कार्य नहीं किया जायेगा जिससे कि सार्वजननिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सुरक्षा पर प्रतिकुल प्रभाव पडने की सम्भाव हो। आवेदक का हस्ताक्षरयुक्त हलफनामा संलग्न है तथा सहखातेदार का हस्ताक्षरयुक्त हलफनामा संलग्न है जिसमें उल्ले किया गया है कि उक्त भूमि के अकृषि कराने में हमे कोई आपत्ति नही है। अन्त में तहसीलदार बिजनौर द्वारा प्रश्नगत भूमि फोटोग्राफस हल्का लेखपाल से प्रमाणित संलग्न करते हुए उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा–80(2) के अन्तर्गत अकृषि भूमि घोषित करने हेतु आख्या संस्तुति सहित न्यायालय को प्रस्तुत की गयी।

नियत दिनांक पर वादी के अधिवक्ता उपस्थित हैं। मेरे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध आर0सी0 प्रपत्र–25, वादी ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 09.02.2024 मय नक्शा नजरी उपरोक्त वर्णित गाटा संख्या, शपथ पत्र, ग्राम मण्डावर परग मण्डावर तहसील व जिला बिजनौर के उपरोक्त खसरा नम्बर के आकार पत्र–41 व 45 का भली–भांति अवलोकन किया गय तहसीलदार बिजनौर की आख्या दिनांक 09.02.2024 के अनुसार प्रार्थी के द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति के सर्किल रेट के अनुस आगणित मूल्यांकन का दो प्रतिशत अंकन 1,30,526रू0 (एक लाख तीस हजार पांच सौ छब्बीस रू) दिनांक 10.02.2024 व ऑनलाईन निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दिया गया है । अतः उक्त भूमि को धारा 80(2)उ0 प्र0 राजस्व संहिता–2006 अन्तर्गत अकृषिक प्रयोग हेतु घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार बिजनौर की आख्या दिनांक 09.02.2024 मय प्रार्थना पत्र आर0सी0 प्रपत्र–25 अन्तर्गत धारा 80(2)उ0प्र0राजस्व संहिता–2006 स्वीकार किये जाते है। भूमि स्थित ग्राम मण्डावर परगना मण्डाव तहसील व जिला बिजनौर की उद्धरण खतौनी 1426फ0–1431फ0 के खाता सं0 331 के गाटा सं0 1083 रकबा 0.797हे0 में से 0.459हे0 ,गाटा सं0 1093 रकबा 0.686हे0 व गाटा सं0 1094 रकबा 0.164हे0 कुल 03 खेत कुल रकबा 1.309हे0 लगान 44 70रू0 भूमि को धारा 80(2) उ0 प्र0 राजस्व सहिता–2006 में उल्लिखित शर्तो के अधीन अकृषिक प्रयोग हेतु घोषित किय जाता है। यह घोषणा केवल अकृषिक प्रयोग के लिए की जा रही है। किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिग्रहण मुआवजे पर प्रभावी नही होगी। उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य जिला पंचायत बिजनौर के संगत नियमों के अनुसार अनुमन्य होगा। जिला पंचायत में निर्दिष्ट भू–उपयोग के विरूद्व किया गया कोई भी निर्माण कार्य विधि विरूद्व होगा जिसे नियमानुसार ध्वस्त करने का पूर्ण अधिकार जिला पंचायत बिजनौर को होगा। किसी भी प्रकार का विरोधाभास होने पर यह घोषणा स्वत निरस्त हो जायेगी। तहसीलदार की आख्या दिनांक 09.02.2024 मय नजरी नक्शा आदेश का अंग रहेंगी। आदेश की एक प्रति तहसीलदार बिजनौर को राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि हेतु तथा एक प्रति उप–निबन्धक बिजनौर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफतर की जाये।

दिनांक 13.02.2024

(विजय वर्धन तोमर)
उपजिलाधिकारी,(सदर) बिजनौर।

https://vaad.up.nic.in/Judgement/PrintAdvtlse_Details.aspx?cno=T202413161601811&file_dt=09/02/2024&sec_cd=766&lst_dt=10/02/2024

R-8

10

https://upbhulekh.gov.in/bhulekh/tehsilReport/rep_RorPrint

न्यायालय- उपजिलाधिकारी

छायाप्रति प्रमाणित

जनपद - बिजनौर, तहसील - बिजनौर

कंप्यूटरीकृत आवेदन संख्या : T802024006185

आवेदक का नाम :- मौ॰ हासिम

अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

न्यायालय परगनाधिकारी/परगना मजिस्ट्रेट * बिजनौर *

आदेश का प्रकार :- अंतिम आदेश

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही वादी मौ0 हाशिम पुत्र मौ0 फारुख निवासी मौ0 बाजार मंगल करबा मण्डावर परगना मण्डावर तहसील व जिला बिजनौर द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–80(2)उ0प्र0 राजस्व संहिता–2006 दिनांकित 15.03.2024 के आधार पर न्यायालय में प्रारम्भ हुई। प्रार्थना पत्र–आर0सी0 प्रपत्र–25 की जॉच तहसीलदार, बिजनौर से कराई गई। जांच आख्या प्राप्त होने के वाद दर्ज रजिस्टर किया गया।

तहसीलदार, बिजनौर की आख्या दिनांक 23.04.2024 में उल्लेख किया गया है कि राजस्व ग्राम मण्डावर परगना मण्डावर तहसील व जिला बिजनौर की उद्धरण खतौनी 1426फ0–1431फ0 के खाता सं0 330 के गाटा संख्या 1091 रकबा 0.455है0 में से 0.2275है0 तथा खाता संख्या 331 गाटा संख्या 1083 रकबा 0.797है0 में से अपने 1/2 भाग यानि 0.338 है0 व गाटा संख्या 1089 रकबा 0.341 है0 सम्पूर्ण कुल 03 खेत कुल रकबा 1.593है0 लगान 50.10 रू0 में से 0.9065है0 लगान 28.50रू0 के मौ0 हाशिम पुत्र मौ0 फारुख निवासी मौ0 बाजार मंगल करबा मण्डावर परगना मण्डावर तहसील व जिला बिजनौर ,संक्रमणीय भूमिधर है। उक्त भूमि को अकृषिक प्रयोजन हेतु प्रयोग करने के लिए धारा 80(2) के अन्तर्गत अकृषिक घोषित कराने की प्रार्थना की है। उक्त भूमि धारा 132 अब नई धारा 77 से बाधित नही है तथा उक्त भूमि सैन्चूरी क्षेत्र के अन्तर्गत नही आती है। मौके पर अकृषिक प्रयोग में की जा रही है। उक्त आराजी में कृषि कार्य, बागवानी, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन नहीं हो रहा हैं। आवेदक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नगत भूमि पर उनके द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया जायेगा जिससे कि सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सुरक्षा पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो। आवेदक का हस्ताक्षरयुक्त हलफनामा संलग्न है तथा सहखातेदार का हस्ताक्षरयुक्त हलफनामा संलग्न है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त भूमि के अकृषि कराने में हमे कोई आपत्ति नही है। अन्त में तहसीलदार बिजनौर द्वारा प्रश्नगत भूमि के फोटोग्राफ्स हल्का लेखपाल से प्रमाणित संलग्न करते हुए उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा–80(2) के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित करने हेतु आख्या संस्तुति सहित न्यायालय को प्रस्तुत की गयी।

नियत दिनांक पर वादी के अधिवक्ता उपस्थित हैं। मेरे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध आर0सी0 प्रपत्र–25, वादी के ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 15.03.2024 मय नक्शा नजरी उपरोक्त वर्णित गाटा संख्या, शपथ पत्र, ग्राम मण्डावर परगना मण्डावर तहसील व जिला बिजनौर के उपरोक्त खसरा नम्बर के आकार पत्र–41 व 45 का भली–भांति अवलोकन किया गया। तहसीलदार बिजनौर की आख्या दिनांक 23.04.2024 के अनुसार प्रार्थी के द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति के सर्किल रेट के अनुसार आगणित मूल्यांकन का दो प्रतिशत अंकन 90,884रू0 (नव्बे हजार आठ सौ चौरासी रू) दिनांक 27.04.2024 को ऑनलाईन निर्धारित लेखाशीर्षक मे जमा कर दिया गया है । अतः उक्त भूमि को धारा 80(2)उ0 प्र0 राजस्व संहिता–2006 के अन्तर्गत अकृषिक प्रयोग हेतु घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार बिजनौर की आख्या दिनांक 23.04.2024 मय प्रार्थना पत्र आर0सी0 प्रपत्र–25 अन्तर्गत धारा 80(2)उ0प्र0राजस्व संहिता–2006 स्वीकार किये जाते है। भूमि स्थित ग्राम मण्डावर परगना मण्डावर तहसील व जिला बिजनौर की उद्धरण खतौनी 1426फ0–1431फ0 के खाता सं0 330 के गाटा संख्या 1091 रकबा 0.455है0 में से अपने 1/2 भाग यानि 0.2275है0 तथा खाता संख्या 331 गाटा संख्या 1083 रकबा 0.797है0 में से अपने 1/2 भाग यानि 0.338 है0 व गाटा संख्या 1089 रकबा 0.341 है0 सम्पूर्ण कुल 03 खेत कुल रकबा 1.593है0 लगान 50.10 रू0 में से 0.9065है0 लगान 28.50रू0 भूमि को धारा 80(2) उ0 प्र0 राजस्व सहिता–2006 में उल्लिखित शर्तो के अधीन अकृषिक प्रयोग हेतु घोषित किया जाता है। यह घोषणा केवल अकृषिक प्रयोग के लिए की जा रही है। किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिग्रहण मुआवजे पर प्रभावी नही होगी। उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य जिला पंचायत बिजनौर के संगत नियमों के अनुसार अनुमन्य होगा। जिला पंचायत में निर्दिष्ट भू–उपयोग के विरूद्ध किया गया कोई भी निर्माण कार्य विधि विरुद्ध होगा जिसे नियमानुसार ध्वस्त करने का पूर्ण अधिकार जिला पंचायत बिजनौर को होगा। किसी भी प्रकार का विरोधाभास होने पर यह घोषणा स्वतः निरस्त हो जायेगी। तहसीलदार की आख्या दिनांक 23.04.2024 मय नजरी नक्शा आदेश का अंग रहेंगी। आदेश की एक प्रति तहसीलदार बिजनौर को राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि हेतु तथा एक प्रति उप–निबन्धक बिजनौर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफतर की जाये।

दिनांक04.05.2024

(मनोज कुमार सिंह)
उपजिलाधिकारी,(सदर) बिजनौर।

प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपिक एवंनाभिकारी

नकल प्रार्थना संख्या 418
गया बद का दि. 27-6-24
तैयारी का दि. 27-6-24
नकल देने का दि. 27-6-24
शब्दों की संख्या
फीस की रु. 13.50

1/1

out:blank

Firefox

(11) R-8

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 1121692025121424

ग्राम क्रमांक : 112169 ग्राम का नाम (परगना) : मण्ड़ावर(मण्डावर) तहसील : बिजनौर जनपद : बिजनौर फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024) भाग : 1 (1)खाता संख्या : 00331

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
1083	1) देवेश कुमार शर्मा / डा0 देव शर्मा / नि0मंडावर हाल नि0 मंडुलिकगार्डनसहारनपुर 2) मौ0हाशिम / मौ0 फारूख / नि0 मौ0 बाजार मंगल कस्बा मण्डावर	1) राजस्व न्यायालय (तहसीलदार) / T202413160100607 / 11-03-2024 / विक्रय	1373फ0	1083(1121691083000012)	0.7970	1) 1/1 2) -	1) 0.4590 2) 0.3380	27.20
							0.7970	

कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 0.7970 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 27.20 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.7970)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)

कार्यालय तहसीलदार बिजनौर

(12) R-8

	हेतु)					
1) राजस्व न्यायालय (तहसीलदार) / T202413160100607 / 11-03-2024 / विक्रय / PAWAN SINGH / 12-03-2024	1.1) देवेश कुमार शर्मा / डा0 देव शर्मा / नि0मंडावर हाल नि0 मंजुलिकागार्डनसहारनपुर (शेष क्षेत्रफल : 0.4590)	1083(1121691083000012)	1.1) 0.3380	1.1) मौ0हाशिम / मौ0 फारुख / नि0 मौ0 बाजार मंगल कस्बा मण्डावर	1083(1121691083000012)	1.1) 0.3380

1) कृषिक से अकृषिक (धारा 80) : 1431फ0-न्यायालय उपजिलधिकारी बिजनौर द्वारा वाद सं0 टी-202413161601811 देवेश कुमार शर्मा बनाम उ0प्र0 सरकार अंतर्गत् धारा 80 अधि0 उ0प्र0 रा0 संहिता 2006 पर दिनांक 13.2.2024 को आदेश हुआ कि तहसीलदार बिजनौर की आख्या दिनांक 09.02.2024 मय प्रार्थना पत्र आर0सी0 प्रपत्र-25 अन्तर्गत धारा 80(2)उ0प्र0राजस्व संहिता-2006 स्वीकार किये जाते है। भूमि स्थित ग्राम मण्डावर परगना मण्डावर तहसील व जिला बिजनौर की उद्धरण खतौनी 1426फ0-1431फ0 के खाता सं0 331 के गाटा सं0 1083 रकबा 0.797हे0 में से 0.459हे0 ,गाटा सं0 1093 रकबा 0.686हे0 व गाटा सं0 1094 रकबा 0.164हे0 कुल 03 खेत कुल रकबा 1.309हे0 लगान 44.70रू0 भूमि को धारा 80(2) उ0 प्र0 राजस्व सहिता-2006 में उल्लिखित शर्तो के अधीन अकृषिक प्रयोग हेतु घोषित किया जाता है। यह घोषणा केवल अकृषिक प्रयोग के लिए की जा रही है। किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिग्रहण मुआवजे पर प्रभावी नही होगी। उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य जिला पंचायत बिजनौर के संगत नियमों के अनुसार अनुमन्य होगा। जिला पंचायत में निर्दिष्ट भू-उपयोग के विरूद्व किया गया कोई भी निर्माण कार्य विधि विरूद्व होगा जिसे नियमानुसार ध्वस्त करने का पूर्ण अधिकार जिला पंचायत बिजनौर को होगा। किसी भी प्रकार का विरोधाभास होने पर यह घोषणा स्वत: निरस्त हो जायेगी। तहसीलदार की आख्या दिनांक 09.02.2024 मय नजरी नक्शा आदेश का अंग रहेंगी। ह0र0का0 6.3.2024 (डिजिटल हस्ताक्षर : PAWAN SINGH / 06-03-2024)

2) कृषिक से अकृषिक (धारा 80) : 1431फ0-न्यायालय उपजिलाधिकारी बिजनौर द्वारा आवेदन सं0 टी-802024006185 आवेदक का नाम मौ0 हासिम अंतर्गत धारा 80 अधि0 उ0प्र0 रा0 सं0 2006 पर आदेश हुआ कि तहसीलदार बिजनौर की आख्या दिनांक 23.04.2024 मय प्रार्थना पत्र आर0सी0 प्रपत्र-25 अन्तर्गत धारा 80(2)उ0प्र0राजस्व संहिता-2006 स्वीकार किये जाते है। भूमि स्थित ग्राम मण्डावर परगना मण्डावर तहसील व जिला बिजनौर की उद्धरण खतौनी 1426फ0-1431फ0 के खाता सं0 330 के गाटा संख्या 1091 रकवा 0.455हे0 में से अपने 1/2 भाग यानि 0.2275हे0 तथा खाता संख्या 331 गाटा संख्या 1083 रकवा 0.797हे0 में से अपने 1/2 भाग यानि 0.338 हे0 व गाटा संख्या 1089 रकबा 0.341 हे0 सम्पूर्ण कुल 03 खेत कुल रकवा 1.593हे0 लगान 50.10 रू0 में से 0.9065हे0 लगान 28.50रू0 भूमि को धारा 80(2) उ0 प्र0 राजस्व सहिता-2006 में उल्लिखित शर्तो के अधीन अकृषिक प्रयोग हेतु घोषित किया जाता है। यह घोषणा केवल अकृषिक प्रयोग के लिए की जा रही है। किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिग्रहण मुआवजे पर प्रभावी नही होगी। उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य जिला पंचायत बिजनौर के संगत नियमों के अनुसार अनुमन्य होगा। जिला पंचायत में निर्दिष्ट भू-उपयोग के विरूद्व किया गया कोई भी निर्माण कार्य विधि विरूद्व होगा जिसे नियमानुसार ध्वस्त करने का पूर्ण अधिकार जिला पंचायत बिजनौर को होगा। किसी भी प्रकार का विरोधाभास होने पर यह घोषणा स्वत: निरस्त हो जायेगी। तहसीलदार की आख्या दिनांक 23.04.2024 मय नजरी नक्शा आदेश का अंग रहेंगी।ह0र0का0 15.6.2024 (डिजिटल हस्ताक्षर : PAWAN SINGH / 15-06-2024)

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)वंधक/वंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)वंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा वैंक का नाम/कोड/वंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)वंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा वैंक का नाम/कोड/वंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

Data Digitally Signed by:PAWAN SINGH(REVENUE INSPECTOR) दिनांक/समय/स्थान: 03-12-2025 12:48:04 तहसील : बिजनौर यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।	मुद्रित कर्ता : NIRDESH KUMAR तहसील : बिजनौर मुद्रित दिनांक एवं समय: 03-12-2025 12:48:04 Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।	NATIONAL INFORMATICS CENTRE

TFC

13

R-8

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 1121692025121425

ग्राम क्रमांक : 112169 ग्राम का नाम (परगना) : मण्ड़ावर(मण्डावर) तहसील : बिजनौर जनपद : बिजनौर फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024) भाग : 1 (1)खाता संख्या : 00331

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
1084	1) देवेश कुमार शर्मा / डा0 देव शर्मा / नि0मंडावर हाल नि0 मंडुलिकगार्डनसहारनपुर		1373फ0	1084(1121691084000012)	0.1260	1) 1/1	1) 0.1260	4.30
							0.1260	

कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 0.1260 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 4.30 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.1260)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)

कार्यालय तहसीलदार

(14) R-8

		1084(1121691084000012)		1084(1121691084000012)

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

Data Digitally Signed by:PAWAN SINGH(REVENUE INSPECTOR) दिनांक/समय/स्थान: 03-12-2025 12:48:12 तहसील : बिजनौर यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।	मुद्रित कर्ता : NIRDESH KUMAR तहसील : बिजनौर मुद्रित दिनांक एवं समय: 03-12-2025 12:48:12 Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।	NIC NATIONAL INFORMATICS CENTRE

कार्यालय तहसीलदार बिजनौर

Firefox

https://upbhulekh.gov.in/bhulekh/...Report/rep_RorPrint

(15) 12-8

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 1121692025121426

ग्राम क्रमांक : 112169 ग्राम का नाम (परगना) : मण्डावर(मण्डावर) तहसील : बिजनौर जनपद : बिजनौर फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024) भाग : 1 (1)खाता संख्या : 00331

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
1089	1) मौ0हासिम / मौ0 फारूख / नि0 मौ0 बाजार मंगल कस्बा मण्डावर	1) राजस्व न्यायालय (तहसीलदार) / T202413160100607 / 11-03-2024 / विक्रय	1373फ0	1089(1121691089000012)	0.3410	1) -	1) 0.3410	11.70
							0.3410	

कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 0.3410 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 11.70 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.3410)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)

कार्यालय तहसीलदार बिजनौर

03-12-2025, 12:48

16 R-8

1) राजस्व न्यायालय (तहसीलदार) / T202413160100607 / 11-03-2024 / विक्रय / PAWAN SINGH / 12-03-2024	1.1) देवेश कुमार शर्मा / डा0 देव शर्मा / नि0भंडावर हाल नि0 मंजुलिकगार्डनसहारनपुर (शेष क्षेत्रफल : 0.0000)	1089(1121691089000012)	1.1) 0.3410	1.1) मी0हासिम / मौ0 फारूख / नि0 मौ0 बाजार मंगल कस्बा मण्डावर	1089(1121691089000012)	1.1) 0.3410

1) कृषिक से अकृषिक (धारा 80) : 1431फ0-न्यायालय उपजिलाधिकारी बिजनौर द्वारा आवेदन सं0 टी-802024006185 आवेदक का नाम मी0 हासिम अंतर्गत धारा 80 अधि0 उ0प्र0 रा0 सं0 2006 पर आदेश हुआ कि तहसीलदार बिजनौर की आख्या दिनांक 23.04.2024 मय प्रार्थना पत्र आर0सी0 प्रपत्र-25 अन्तर्गत धारा 80(2)उ0प्र0राजस्व संहिता-2006 स्वीकार किये जाते है। भूमि स्थित ग्राम मण्डावर परगना मण्डावर तहसील व जिला बिजनौर की उद्धरण खतौनी 1426फ0-1431फ0 के खाता सं0 330 के गाटा संख्या 1091 रकबा 0.455हे0 में से अपने 1/2 भाग यानि 0.2275हे0 तथा खाता संख्या 331 गाटा संख्या 1083 रकबा 0.797हे0 में से अपने 1/2 भाग यानि 0.338 हे0 व गाटा संख्या 1089 रकबा 0.341 हे0 सम्पूर्ण कुल 03 खेत कुल रकबा 1.593हे0 लगान 50.10 रू0 में से 0.9065हे0 लगान 28.50रू0 भूमि को धारा 80(2) उ0 प्र0 राजस्व सहिता-2006 में उल्लिखित शर्तो के अधीन अकृषिक प्रयोग हेतु घोषित किया जाता है। यह घोषणा केवल अकृषिक प्रयोग के लिए की जा रही है। किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिग्रहण मुआवजे पर प्रभावी नही होगी। उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य जिला पंचायत बिजनौर के संगत नियमों के अनुसार अनुमन्य होगा। जिला पंचायत में निर्दिष्ट भू-उपयोग के विरूद्ध किया गया कोई भी निर्माण कार्य विधि विरूद्ध होगा जिसे नियमानुसार ध्वस्त करने का पूर्ण अधिकार जिला पंचायत बिजनौर को होगा। किसी भी प्रकार का विरोधाभास होने पर यह घोषणा स्वत: निरस्त हो जायेगी। तहसीलदार की आख्या दिनांक 23.04.2024 मय नजरी नक्शा आदेश का अंग रहेंगी।ह0र0का0 15.6.2024 (डिजिटल हस्ताक्षर : PAWAN SINGH / 15-06-2024)

(17)भूमि के सम्वन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)वंधक/वंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)वंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)वंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

Data Digitally Signed by:PAWAN SINGH(REVENUE INSPECTOR)
दिनाँक/समय/स्थान: 03-12-2025 12:48:22 तहसील : बिजनौर
यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता : NIRDESH KUMAR तहसील : बिजनौर
मुद्रित दिनांक एवं समय: 03-12-2025 12:48:22
Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है |

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

कार्यालय तहसीलदार बिजनौर

T+C

Firefox

https://upbhulekh.gov.in/bhulekh/tehsilReport/rep_RorPrint

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 1121692025121427

ग्राम क्रमांक : 112169 ग्राम का नाम (परगना) : मण्ड़ावर(मण्डावर) तहसील : बिजनौर जनपद : बिजनौर फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024) भाग : 1 (1)खाता संख्या : 00331

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
1090	1) देवेश कुमार शर्मा / डा0 देव शर्मा / नि0मंडावर हाल नि0 मंजुलिकगार्डनसहारनपुर		1373फ0	1090(1121691090000012)	0.2280	1) 1/1	1) 0.2280	7.80
							0.2280	

कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 0.2280 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 7.80 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.2280)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)

कार्यालय तहसीलदार बिजनौर

(18) R-8

		1090(1121691090000012)		1090(1121691090000012)

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

Data Digitally Signed by:PAWAN SINGH(REVENUE INSPECTOR) दिनांक/समय/स्थान: 03-12-2025 12:48:33 तहसील : बिजनौर यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।	मुद्रित कर्ता : NIRDESH KUMAR तहसील : बिजनौर मुद्रित दिनांक एवं समय: 03-12-2025 12:48:33 Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।	NATIONAL INFORMATICS CENTRE

ग्राम क्रम
श्रेणी :
खसरा/
संख
1093
कुल गा
न्याय

कार्यालय तहसीलदार बिजनौर

T+C

(19) R-8

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 1121692025121428

ग्राम क्रमांक : 112169 ग्राम का नाम (परगना) : मण्ड़ावर(मण्डावर) तहसील : बिजनौर जनपद : बिजनौर फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024) भाग : 1 (1)खाता संख्या : 00331

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
1093	1) देवेश कुमार शर्मा / डा0 देव शर्मा / नि0मंडावर हाल नि0 मंजुलिकागार्डनसहारनपुर		1373फ0	1093(1121691093000012)	0.6860	1) 1/1	1) 0.6860	23.50
							0.6860	

कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 0.6860 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 23.50 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.6860)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)
					कार्यालय तहसीलदार (बिजनौर) भूलेख ... कम्प्यूटर कक्ष	

1 of 2

irefox https://upbhulekh.gov.in/bhulekh/rels/Report/rep_RorPrint

20 R-8

		1093(1121691093000012)		1093(1121691093000012)

1) कृषिक से अकृषिक (धारा 80) : कृषिक से अकृषिक (धारा 80) (1431फ0-न्यायालय उपजिलधिकारी बिजनौर द्वारा वाद सं0 टी-202413161601811 देवेश कुमार शर्मा बनाम उ0प्र0 सरकार अंतर्गत धारा 80 अधि0 उ0प्र0 रा0 संहिता 2006 पर दिनांक 13.2.2024 को आदेश हुआ कि तहसीलदार बिजनौर की आख्या दिनांक 09.02.2024 मय प्रार्थना पत्र आर0सी0 प्रपत्र-25 अन्तर्गत धारा 80(2)उ0प्र0राजस्व संहिता-2006 स्वीकार किये जाते है। भूमि स्थित ग्राम मण्डावर परगना मण्डावर तहसील व जिला बिजनौर की उद्धरण खतौनी 1426फ0-1431फ0 के खाता सं0 331 के गाटा सं0 1083 रकबा 0.797हे0 में से 0.459हे0 ,गाटा सं0 1093 रकबा 0.686हे0 व गाटा सं0 1094 रकबा 0.164हे0 कुल 03 खेत कुल रकबा 1.309हे0 लगान 44.70रू0 भूमि को धारा 80(2) उ0 प्र0 राजस्व सहिता-2006 में उल्लिखित शर्तों के अधीन अकृषिक प्रयोग हेतु घोषित किया जाता है। यह घोषणा केवल अकृषिक प्रयोग के लिए की जा रही है। किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिग्रहण मुआवजे पर प्रभावी नही होगी। उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य जिला पंचायत बिजनौर के संगत नियमों के अनुसार अनुमन्य होगा। जिला पंचायत में निर्दिष्ट भू-उपयोग के विरूद्ध किया गया कोई भी निर्माण कार्य विधि विरूद्ध होगा जिसे नियमानुसार ध्वस्त करने का पूर्ण अधिकार जिला पंचायत बिजनौर को होगा। किसी भी प्रकार का विरोधाभास होने पर यह घोषणा स्वत: निरस्त हो जायेगी। तहसीलदार की आख्या दिनांक 09.02.2024 मय नजरी नक्शा आदेश का अंग रहेंगी। (डिजिटल हस्ताक्षर : PAWAN SINGH / 16-07-2024)

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

Data Digitally Signed by:PAWAN SINGH(REVENUE INSPECTOR) दिनॉक/समय/स्थान: 03-12-2025 12:48:46 तहसील : बिजनौर यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।	मुद्रित कर्ता : NIRDESH KUMAR तहसील : बिजनौर मुद्रित दिनांक एवं समय: 03-12-2025 12:48:46 Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।	NATIONAL INFORMATICS CENTRE

तहसीलदार बिजनौर कार्यालय भूलेख अनुभाग (कम्प्यूटर कक्ष)

T+C

21

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 1121692025121429

ग्राम क्रमांक : 112169 ग्राम का नाम (परगना) : मण्ड़ावर(मण्डावर) तहसील : बिजनौर जनपद : बिजनौर फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024) भाग : 1 (1)खाता संख्या : 00331

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
1094	1) देवेश कुमार शर्मा / डा0 देव शर्मा / नि0मंडावर हाल नि0 मंजुलिकगार्डनसहारनपुर		1373फ	1094(1121691094000012)	0.1640	1) 1/1	1) 0.1640	5.50
							0.1640	

कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 0.1640 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 5.50 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.1640)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)

T.t.c

		1094(1121691094000012)		1094(1121691094000012)	

1) कृषिक से अकृषिक (धारा 80) : 1431फ0-न्यायालय उपजिलधिकारी बिजनौर द्वारा वाद सं0 टी-202413161601811 देवेश कुमार शर्मा बनाम उ0प्र0 सरकार अंतर्गत् धारा 80 अधि0 उ0प्र0 रा0 संहिता 2006 पर दिनांक 13.2.2024 को आदेश हुआ कि तहसीलदार बिजनौर की आख्या दिनांक 09.02.2024 मय प्रार्थना पत्र आर0सी0 प्रपत्र-25 अन्तर्गत धारा 80(2)उ0प्र0राजस्व संहिता-2006 स्वीकार किये जाते , भूमि स्थित ग्राम मण्डावर परगना मण्डावर तहसील व जिला बिजनौर की उद्धरण खतौनी 1426फ0-1431फ0 के खाता सं0 331 के गाटा सं0 1083 रकबा 0.797हे0 में से 0.459हे0 ,गाटा सं0 1093 रकबा 0.686हे0 व गाटा सं0 1094 रकबा 0.164हे0 कुल 03 खेत कुल रकबा 1.309हे0 लगान 44.70रू0 भूमि को धारा 80(2) उ0 प्र0 राजस्व सहिता-2006 में उल्लिखित शर्तो के अधीन अकृषिक प्रयोग हेतु घोषित किया जाता है। यह घोषणा केवल अकृषिक प्रयोग के लिए की जा रही है। किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिग्रहण मुआवजे पर प्रभावी नही होगी। उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य जिला पंचायत बिजनौर के संगत नियमों के अनुसार अनुमन्य होगा। जिला पंचायत में निर्दिष्ट भू-उपयोग के विरूद्ध किया गया कोई भी निर्माण कार्य विधि विरूद्ध होगा जिसे नियमानुसार ध्वस्त करने का पूर्ण अधिकार जिला पंचायत बिजनौर को होगा। किसी भी प्रकार का विरोधाभास होने पर यह घोषणा स्वत: निरस्त हो जायेगी। तहसीलदार की आख्या दिनांक 09.02.2024 मय नजरी नक्शा आदेश का अंग रहेंगी। (डिजिटल हस्ताक्षर : PAWAN SINGH / 16-07-2024)

(17)भूमि के सम्वन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

Data Digitally Signed by:PAWAN SINGH(REVENUE INSPECTOR) दिनांक/समय/स्थान: 03-12-2025 12:48:58 तहसील : बिजनौर यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।	मुद्रित कर्ता : NIRDESH KUMAR तहसील : बिजनौर मुद्रित दिनांक एवं समय: 03-12-2025 12:48:58 Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।	NATIONAL INFORMATICS CENTRE

कार्यालय तहसीलदार बिजनौर

(23)

कार्यालय, वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मुरादाबाद वृत्त।

पत्रांक — 1791 — /2-1, मुरादाबाद, दिनांक, 04-01-2019.

कार्यालय आदेश

मुरादाबाद वृत्त के समस्त प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारियों की बैठक में वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976 के अन्तर्गत निजी क्षेत्रों के वृक्षों के अवैध पातन एवं अवैध अभिवहन पर वसूल किए जाने वाले प्रतिकर की धनराशि में एक रूपता रखने, निजी वृक्षों के अवैध पातन/अभिवहन को हतोत्साहित करने अवैध पातन/अभिवहन पर नियन्त्रण रखने एवं वृक्षारोपण हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारियों से विचारोपरान्त उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत अपराधियों से वसूले जाने वाले न्यूनतम प्रतिकर के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक-509/2-1 दिनांक 09-08-2010 को जारी आदेश में संशोधन करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

क्रम सं०	विवरण	वृक्ष प्रजातियों के नाम	वसूल किये जाने वाले प्रतिकर की प्रति वृक्ष न्यूनतम धनराशि
1	ऐसी प्रजातियाँ जिनके कटान पर दिनांक 31-12-2020 तक प्रतिबन्ध है तथा अधिनियम में वर्णित विशेष परिस्थितियों में ही काटे जा सकते हैं।	साल, बीजासाल, सागौन, बरगद/वट, महुआ, नीम	रुपये 5,000/-
2	ऐसी प्रजातियाँ जिनके कटान हेतु पातन अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक है।	(क) खैर	(क) रुपये 10,000/-
		(ख) आम (देशी, कलमी व तुख्मी), व जामुन	(ख) रुपये 5,000/-
		(ग) शीशम	(ग) 5,000/-
		(घ) अन्य प्रजातियाँ	(घ) 2,000/-

वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार प्रतिवृक्ष न्यूनतम प्रतिकर वसूल किये जाने की कार्यवाही की जाए। उक्त धनराशि न्यूनतम है विशेष परिस्थिति में कम प्रतिकर लेने की स्थिति में वन संरक्षक, मुरादाबाद से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

उपरोक्त आदेश 04-01-2019 से लागू होंगे।

TIC

([illegible])
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक

24

प्रमाण पत्र

पर्यावरणीय संरक्षण हेतु 05 जून 2025 विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर श्री डा० देवेश कुमार शर्मा पुत्र श्री देव शर्मा निवासी मण्डावर बिजनौर हाल निवासी मंजुलिका गार्डन बजोरिया रोड सहारनपुर व श्री सौरभ कुमार पुत्र इन्द्रपाल निवासी धामपुर के द्वारा स्वेच्छा से नीम, शीशम, जामुन, पिलखन आदि के कमशः 700 व 150 पौधे क्रमशः 10 से 12 फिट ऊंचाई के उपलब्ध कराये गये जिनको बिजनौर नजीबाबाद राष्ट्रीय राज मार्ग पर रोपित किया गया उक्त पौधो के वृक्ष बनने पर स्वामित्य वन विभाग बिजनौर रेंज सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर का होगा। किसी भी माननीय न्यायालय मे स्वामित्व का दावा पेश नही किया जायेगा और न ही मान्य होगा ।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेंज बिजनौर।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेंज बिजनौर

T&C

रा०अ०सं० : 4/212/373:394/131

अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां
(समस्त वृक्षों में, मैं पीपल हूं)
- श्रीकृष्ण

दूरभाष सं० : 9997653334

पीपल पिलखन फाउण्डेशन

मयूर विहार कालोनी, बिजनौर-246701 (उ०प्र०)
E-mail : foundationpeepalpilkhan@gmail com
(यदि आप साथ आएगें, हम नया जहाँ बनाएगें।)

पत्रांक :...............

दिनांक :...............

सेवा में,

जिला वन अधिकारी,
सामाजिक वानिकी, बिजनौर।

विषयः श्री देवेश कुमार शर्मा, निवासी मंडावर द्वारा किये जाने वाले वृक्षारोपण में सहयोग किये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया संज्ञानित हुआ है कि श्री देवेश कुमार शर्मा, निवासी मंडावर द्वारा अपने पत्र दिनांक २२ अप्रैल, २०२५ अन्तर्गत ३५० पौधे पीपल तथा ३५० पौधे नीम के अपने व्यय पर महोदय के अधिकार क्षेत्र में रोपित किए जाने की अनुमति चाही गयी है।

इस सम्वन्ध में अनुरोध है कि यदि उपरोक्त पौधारोपण बिजनौर किरतपुर मार्ग पर किया जाता है तो हमारी संस्था पीपल-पिलखन, फाउण्डेशन उक्त वृक्षारोपण किए जाने एवं रोपित किये गये पौधों को पाले जाने के कार्य में सहर्ष सहयोग देने हेतु सहमत है। हमारे पर्यावरण प्रहरी उक्त लगाए जाने वाले पौधों का पूर्ण प्रविद्धता से पालन करेंगे।

भवदीय

N Sharma

(नमिता शर्मा)
प्रवन्ध निदेशक/अध्यक्ष
पीपल-पिलखन फाउण्डेशन,
बिजनौर।

प्रतिलिपिः श्री देवेश कुमार शर्मा, मंडावर, बिजनौर हाल निवासी मंजुलिका गार्डन, वजोरिया रोड, सहारनपुर-२४७००१,उ०प्र०।

प्रवन्ध निदेशक/अध्यक्ष
पीपल-पिलखन फाउण्डेशन,
बिजनौर।

J+C

(26)

प्रार्थना पत्र

सेवा में,
जिला वन अधिकारी महोदय,
बिजनौर, उत्तर प्रदेश।

विषयः क्षीण वन भूमि (Degrade forest land) पर 700 पौधों के रोपण हेतु अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि मैं एक पर्यावरण प्रेमी व्यक्ति हूँ, मैं आपके अधिकार क्षेत्र में आने वाली क्षीण वन भूमि (Degrade forest land) पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से 700 पौधों का रोपण करना चाहता हूँ। प्रस्तावित रोपण में 350 पीपल और 350 नीम के पौधे शामिल होंगे। मैं रोपण से संबंधित समस्त व्यय स्वयं वहन करूँगा और मैं रोपित पौधों की अगले 5 वर्षों तक नियमित देखभाल, संरक्षण और रखरखाव करने हेतु पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हूँ। जिनके स्वामित्व के अधिकार वन विभाग के रहेंगे।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि मुझे उपरोक्त कार्य हेतु आवश्यक अनुमति प्रदान करने की कृपा करें, ताकि मैं इस पर्यावरणीय कदम को उठा सकूँ।

श्रीमान जी कि अति कृपा होगी।

धन्यवाद।

दिनांकः 22.04.2025

भवदीय,

देवेश कुमार

देवेश कुमार शर्मा
पुत्र श्री डॉ. देव शर्मा
पताः मोहल्ला बाजार कला, कस्बा व थाना मंडावर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश
वर्तमान पताः मंजुलिका गार्डन, बजोरिया रोड, सहारनपुर–247001, उत्तर प्रदेश
Mob No. 7906960930

संलग्नकः शपथ पत्र

महोदय,

सेक्शन प्रभारी बिजनौर के अनुसार नजीबाबाद-बिजनौर मार्ग पर मार्ग चौड़ीकरण हुआ है। श्री देवेश कुमार शर्मा स्वेच्छा से 700 पौधे, ऊंचाई लगभग 12 फीट, प्रजाति नीम, पीपल लगाने चाहते हैं तो पी०पी० फाउंडेशन बिजनौर की सहायता से लगा सकते हैं। श्री देवेश कुमार शर्मा, द्वारा रोपित किये जाने वाले पौधों का स्वामित्व वन विभाग का होगा, इस आशय का लिखित में अंकित किया गया है। अतः जनहित व पर्यावरणीय हित में 700 पौधे नजीबाबाद-बिजनौर मार्ग पर लगाने की संस्तुति की जाती है। पी०पी० फाउंडेशन [illegible] हो।

[signature]
10.05.2025
R.O. Bijnor
क्षेत्रीय वन अधिकारी

T+C

Scanned with OKEN Scanner

(21)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

NOTARY
Advocate, Notary
Mahesh Chandra
Reg. No. 17905/2020
BIJNOR (U.P.)
GOVT. OF INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

59AE 726658

शपथ पत्र

समक्षः जिला वन अधिकारी महोदय, बिजनौर।

मिनजानिबः श्री देवेश कुमार शर्मा पुत्र श्री डॉ. देव शर्मा निवासी मोहल्ला बाजार कलां, कस्बा मंडावर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश; वर्तमान निवासी मंजुलिका गार्डन, बजोरिया रोड, सहारनपुर–247001, उत्तर प्रदेश।

मैं, देवेश कुमार शर्मा, उपरोक्त निवासी, शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ:

1. मेरा उपरोक्त नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, व वर्तमान पता सत्य, सही एवं पूर्ण रूप से यथार्थ है।
2. मैं आपके अधिकार क्षेत्र में आने वाली क्षीण वन भूमि (Degrade forest land) पर 700 पौधों का रोपण करना चाहता हूँ।
3. उपरोक्त 700 पौधों में 350 पीपल और 350 नीम के पौधे शामिल होंगे।
4. मैं उपरोक्त सभी पौधों के रोपण का समस्त व्यय स्वयं वहन करूँगा।
5. मैं उपरोक्त रोपित पौधों की अगले 5 वर्षों तक नियमित देखभाल, संरक्षण और रखरखाव करने हेतु पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हूँ। जिनके स्वामित्व के अधिकार वन विभाग के रहेंगे।
6. इस शपथ पत्र के पैरा 1 से 5 तक का समस्त विवरण पूर्ण रूप से सत्य, सही और यथार्थ है। इसमें किसी प्रकार का कोई असत्य कथन या तथ्य छिपाया नहीं गया है।

मैं ईश्वर को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूँ कि उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। यदि मेरे द्वारा कोई असत्य कथन किया गया हो, तो मैं इसके लिए कानूनी दंड का भागी होऊँगा।

दिनांक: 22.04.2025

स्थानः बिजनौर, उत्तर प्रदेश

Sworn before me on 22.4.2025 by Devesh Kumar who has been identified by Md. Umar Advocate who is personally known to me Whose signature(s) are hereto appended.

शपथकर्ता का हस्ताक्षरः देवेश कुमार

देवेश कुमार शर्मा देवेश कुमार

Md Umar Advocate
Reg. No. UP5607/188
COP No. 035753, Ch. No. B-18,
Collectorate, Bijnor (U.P.)
Mob. 9411634680

Mahesh Chandra Advocate
Notary Bijnor (U.P.)

T+C

Scanned with OKEN Scanner

प्राक्कलन आम्र[illegible] + [illegible]

1- जनपद - नजीबाबाद फार्म
2- रोपित पौधे 700

क्र०	कार्य विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	गड्ढों की खुदाई एवं मलबा निस्तारण [illegible] (0.60x0.60x0.60)	प्रतिगड्ढा	700	14.72	10304=00
2	गड्ढों में गोबर खाद [illegible]	-"- L.S	700	8.06	5642=00
3	गड्ढों में [illegible] दवा व उपरान्त मिश्रण	L.S	700	L.S	3500=00
4	गड्ढे में गोबर खाद मिलाकर भरना	प्रतिगड्ढा	700	1.84	1288=00
5	पौधे का मूल्य (ढुलान सहित [illegible] बाजार मूल्य के आधार पर)	प्रति पौधा	700	150.00	105000=00
6	पौधों का स्थानीय ढुलान	-"-	700	4.60	3220=00
7	पौधों का रोपण थांवला [illegible] तुरन्त सिंचाई	-"-	700	16.10	11270=00
8	पौधों की निराई गुड़ाई (5 बार)	-"-	700	1.72	6020=00
9	पौधों की सिंचाई (9 बार)	-"-	700	1.56	9828=00
10	अन्य आकस्मिक व्यय	L.S	L.S	L.S	3928=00
	योग -	—	—	—	160000=00

T+C

Scanned with OKEN Scanner

T+C

(29)

सेवा में,
क्षेत्रीय वन अधिकारी
बिजनौर

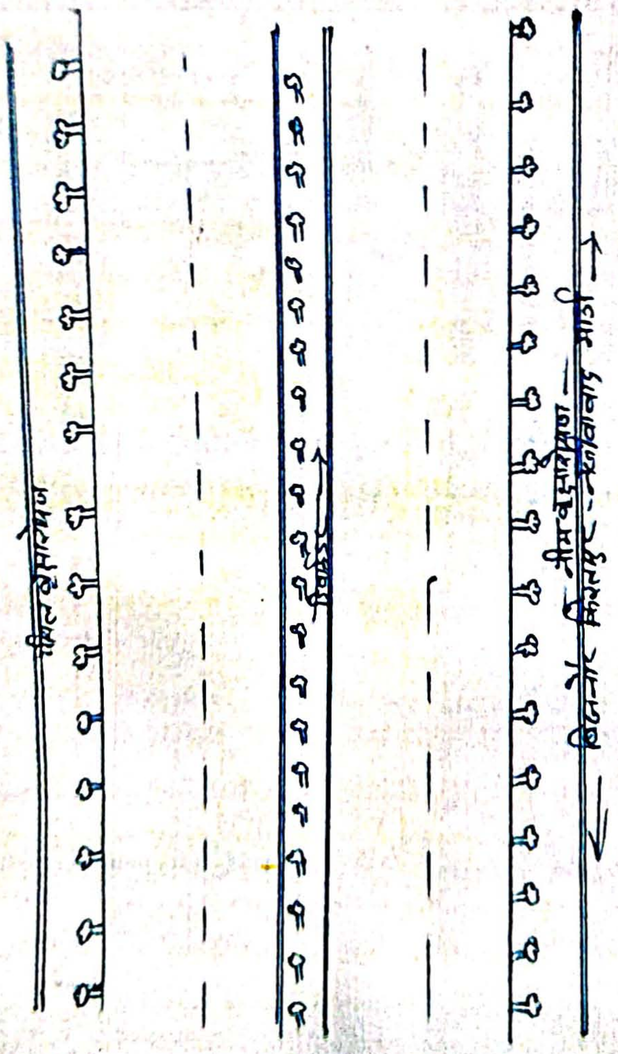

मनदीप
(मदनपाल सिंह)
अ०क०
क्षै० क० बिजनौर

(30)

बिजनौर। विश्व पर्यावरण दिवस: इंदिरा पार्क में जिलाधिकारी जसजीत कौर के साथ डॉ देवेश कुमार शर्मा ने किया पौधारोपण। डॉ शर्मा ने पूर्व में 800 पेड़ो का पालन पोषण किया था। 700 पौधे और लगाने का लिया संकल्प।

चिंगारी- बिजनौर टाइम्स

विश्व पर्यावरण दिवस पर इंदिरा पार्क में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित

बिजनौर (चिंगारी)। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इंदिरा पार्क, बिजनौर में एक विशेष पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर के सहयोग से संपन्न हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिलाधिकारी जसजीत कौर रहीं। उनके साथ मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा, संयुक्त मजिस्ट्रेट अतुल रस्तोगी एवं अपर जिलाधिकारी विनय कुमार के साथ-साथ बिजनौर नगर पालिका चेयरपर्सन इन्दिरा सिंह व भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. वीरवल सिंह भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर सहारनपुर निवासी डॉ. देवेश कुमार शर्मा, जो एक समाजसेवी हैं, ने जिलाधिकारी के साथ मिलकर पहला पौधा रोपित किया। डॉ. शर्मा पूर्व में भी ग्राम मंडावर में 800 से अधिक वृक्ष लगा चुके हैं, जिनकी एक वर्ष से स्वयं देखरेख कर रहे हैं। इस वर्ष उन्होंने 700 पौधे और लगाने का संकल्प लिया था, जिनमें नीम और पीपल जैसे पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण वृक्ष शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान डॉ. देवेश ने कहा, वृक्ष हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। हम सभी का कर्तव्य है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और पर्यावरण की रक्षा में भागीदार बनें।

T+C

1092

(31)

GPS Map Camera
Bijnor, Uttar Pradesh, India
94qh+5j9, Nh 119, Basant Vihar, Bijnor, Uttar Pradesh 246701, India
Lat 29.387446° Long 78.129053°
05/06/2025 10:36 AM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Bijnor, Uttar Pradesh, India
94qh+5j9, Nh 119, Basant Vihar, Bijnor, Uttar Pradesh 246701, India
Lat 29.387457° Long 78.129043°
05/06/2025 10:34 AM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Bijnor, Uttar Pradesh, India
94qh+5j9, Nh 119, Basant Vihar, Bijnor, Uttar Pradesh 246701, India
Lat 29.387446° Long 78.129053°
05/06/2025 10:35 AM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Bijnor, Uttar Pradesh, India
94qh+5j9, Nh 119, Basant Vihar, Bijnor, Uttar Pradesh 246701, India
Lat 29.387446° Long 78.129056°
05/06/2025 10:36 AM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Bijnor, Uttar Pradesh, India
94gh+5j9, Nh 119, Basant Vihar, Bijnor, Uttar Pradesh 246701, India
Lat 29.387441° Long 78.129049°
05/06/2025 10:35 AM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Bijnor, Uttar Pradesh, India
94gh+5j9, Nh 119, Basant Vihar, Bijnor, Uttar Pradesh 246701, India
Lat 29.387449° Long 78.129054°
05/06/2025 10:36 AM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Bijnor, Uttar Pradesh, India
94gh+5j9, Nh 119, Basant Vihar, Bijnor, Uttar Pradesh 246701, India
Lat 29.387449° Long 78.129051°
05/06/2025 10:36 AM GMT +05:30
Google

(33)

GPS Map Camera
Bijnor, Uttar Pradesh, India
94qh+5j9, Nh 119, Basant Vihar, Bijnor, Uttar Pradesh 246701, India
Lat 29.387448° Long 78.129054°
05/06/2025 10:36 AM GMT +05:30
Google

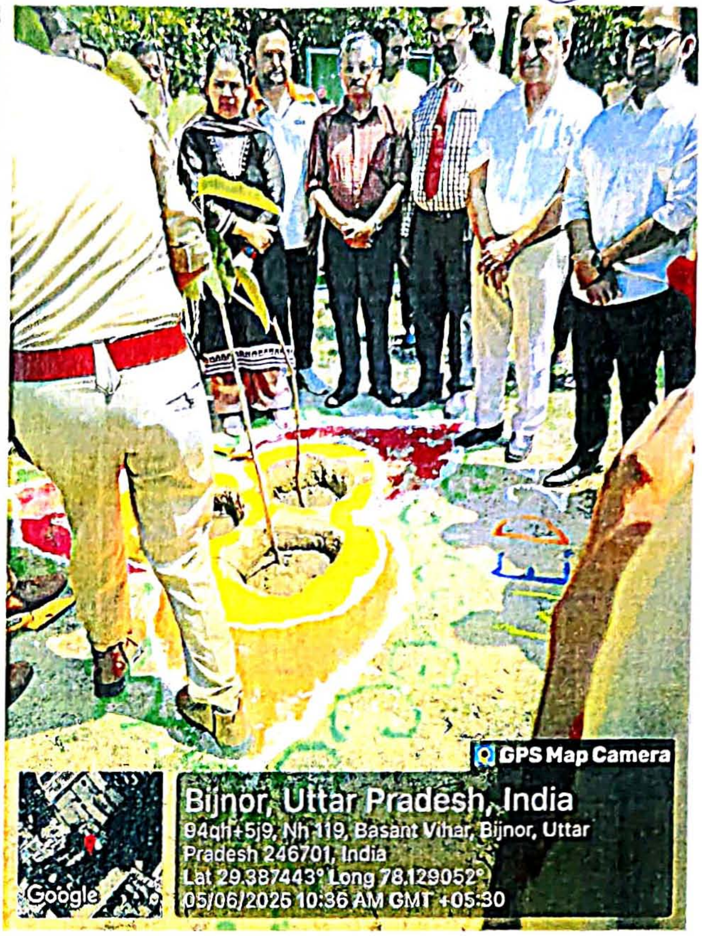
GPS Map Camera
Bijnor, Uttar Pradesh, India
94qh+5j9, Nh 119, Basant Vihar, Bijnor, Uttar Pradesh 246701, India
Lat 29.387443° Long 78.129052°
05/06/2025 10:36 AM GMT +05:30
Google

" एक पेड़ माँ के नाम "

TtC
2
ItS

1095

34

विश्व पर्यावरण दिवस पर इंदिरा पार्क, बिजनौर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित

[illegible]

epaper

हिन्दुस्तान

Share Copy url Save Font Size D'load Image Image Text Listen

इंदिरा पार्क में लगाया 'एक पौधा मां के नाम', त्रिवेणी वाटिका की स्थापना, बोलीं डीएम - लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए करें जागरुक

हर दिन एक पेड़ लगाओ, शुद्ध हवा का सुख उठाओ

अपील

बिजनौर, वरिष्ठ संवाददाता। डीएम जसजीत कौर ने इंदिरा पार्क में सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर की ... विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ... वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। साथ ही एक पौधा मां के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ किया। डीएम ने कहा कि हम हर दिन एक नया पेड़ लगाएंगे और लोगों को इसके लिए जागरूक भी करेंगे।

डीएम जसजीत कौर द्वारा जनपद स्तर पर इन्दिरा पार्क बिजनौर में एक पौधा मां के नाम 2.0 अभियान के अंतर्गत पवित्र त्रिवेणी वाटिका की स्थापना की गई। जिसमें उनके द्वारा नीम, बरगद एवं पीपल के पौधे रोपित किए गए। उन्होंने कहा कि लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करें और उन्हें अपने परिवार, ... के लोगों को भी जागरूक करने ... वृक्षारोपण एवं उनके संरक्षण के लिए [illegible]

बिजनौर में विश्व पर्यावरण दिवस पर इंदिरा पार्क में पौधारोपण करतीं जिलाधिकारी जसजीत कौर।

[illegible]

[illegible]

पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण किया

[illegible]

TE 7